संख्या-2/2020/19/63-व0उ0-2020-9(एच)/2019

प्रेषक,

प्रभान्शु श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 14 जनवरी, 2020

विषयः- उ0प्र0 हैण्डलूम,पावरलूम,सिल्क,टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1133/ह0क0-नियोजन/2019-20 दिनांक 01.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 हैण्डलूम,पावरलूम,सिल्क,टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव के क्रम में निम्नानुसार मदों में कुल धनराशि रू0 2.45 करोड़ (रू0 दो करोड़, पैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है:-

1-	कताई-बुनाई विषय में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों हेतु छात्रवृत्ति धनराषि	रू0 10.00 लाख
2-	हथकरघा बुनकरों के सहायक कर्मियों को मानदेय हेतु धनराषि	रू0 60.00 लाख
3-	यू0पी0 स्टेट हैण्डलूम एक्सपो हेतु धनराषि	रू0 1.60 करोड़
4-	कताई-बुनाई विशय के कालेजों का प्रायोगिक कार्य हेतु अनुदानित धनराषि	रू0 15.00 लाख
	योग	रू0 2.45 करोड़

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-5/2018/1263/63व0उ0-2018 दिनांक 07.08.2018 के निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 मंे स्वीकृत धनराशि रू0 2.45 करोड़ (रू0 दो करोड़, पैतालिस लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-2/2020/19(1)/63-व0उ0-2020 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in